[2021] 7 एस. सी. आर. 506

देवेंद्र भास्कर और ओआरएस।

वी.

हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस.

(2021 की सिविल अपील संख्या 7031)

24 नवंबर, 2021

[एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

न्यायिक समीक्षा योग्यता की समानता

- आयोजित का निर्धारणः योग्यता की समानता राज्य के लिए एक मामला है, क्योंकि यह निर्धारित करने के लिए भर्ती प्राधिकरण है-न्यायिक समीक्षा न तो निर्धारित योग्यताओं का दायरा बढ़ा सकती है और न ही किसी अन्य योग्यता के साथ निर्धारित योग्यताओं का दायरा तय कर सकती है।

दी गई योग्यता-तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा/डिग्री हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प में दो वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा के बराबर है-दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिप्लोमा को नियमित कक्षा कक्ष अध्ययन के माध्यम से दिए गए डिप्लोमा के बराबर नहीं माना जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि

कला और शिल्प पाठ्यक्रम एक अत्यधिक व्यावहारिक उन्मुख पाठ्यक्रम है और नियुक्त शिक्षकों को छात्रों को कला और शिल्प में प्रशिक्षित करना होता है जो एक व्यावहारिक विषय है। कला और शिल्प में डिप्लोमा औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा दिया जाता है। विभाग, हरियाणा, उन छात्रों को जो नियमित रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण में भाग लेते हैं। अधिकांश विषय व्यावहारिक विषय हैं और उनका अध्ययन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संभव नहीं है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कला और शिल्प में डिप्लोमा प्रदान करता है।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इस डिप्लोमा को नियमित कक्षा कक्ष अध्ययन के माध्यम से दिए जाने वाले डिप्लोमा के बराबर नहीं माना जा सकता है। [पैरा 14] [512-सी-ई]

1.2 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने स्वयं स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा पत्राचार के माध्यम से शुरू किया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा कला और शिल्प शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए नहीं है।

वास्तव में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कभी यह दावा नहीं किया है कि उक्त डिप्लोमा कला और शिल्प शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने दिनांकित एक सार्वजनिक सूचना में स्पष्ट किया है कि यह डिग्री छात्रों को स्व-नियोजित बनने में सक्षम बनाने के लिए है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज से यह संकेत नहीं मिलता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प परीक्षा में दो साल के डिप्लोमा के बराबर है। अपने दिनांकित 24.12.2004 पत्र में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्वविद्यालय कला और शिल्प में डिप्लोमा सहित किसी भी पाठ्यक्रम के लिए किसी भी विशिष्ट नौकरी की गारंटी नहीं देता है। पी2 से पी4 तक के दस्तावेजों में यह दावा नहीं किया गया है कि विचाराधीन पाठ्यक्रम को हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प में दो वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता के समकक्ष मान्यता दी गई है। [पारस 18,19] [516-एच; 517-ए सी]

1.4 दिनांक 1 के विज्ञापन के अनुसार कला और शिल्प शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से एक है "हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प में दो साल का डिप्लोमा परीक्षा या एक

हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता। औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कला और शिल्प पाठ्यक्रम में डिप्लोमा आयोजित किया जाता है।

हरियाणा औद्योगिक विभाग द्वारा कला और शिल्प में डिप्लोमा प्रदान किया गया प्रशिक्षण विभाग, उच्च न्यायालय उन्हें बराबर करने में उचित नहीं था। [पैरा 20] [517-डी-जी]

1.5 न्यायिक समीक्षा न तो निर्धारित योग्यताओं का दायरा बढ़ा सकती है और न ही निर्धारित [2021] 7 एस. सी. आर. का दायरा तय कर सकती है।

किसी भी अन्य योग्यता के साथ योग्यता। योग्यता की समानता राज्य के लिए एक मामला है, जो निर्धारित करने के लिए भर्ती प्राधिकरण के रूप में है। उच्च न्यायालय ने यह ठहराते हुए गलती की कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कला और शिल्प में दिया जाने वाला डिप्लोमा/डिग्री कला और शिल्प परीक्षा में दो साल के डिप्लोमा के बराबर है हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित या

निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा आयोजित कला और शिल्प में डिप्लोमा। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। [पारस 25-27] [519-A-D]

मोहम्मद शुजात अली और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1975) 3 एससीसी 76: [1975] 1 एससीआर 449; जे. रंगा स्वामी बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य (1990) 1 एस. सी. सी. 288; राजस्थान राज्य और अन्य। वी. लता अरुण (2002) 6 एस. सी. सी. 252; गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम। संजय

कुमार कटवाल और अन्न। (2009) 1 एससीसी 610: [2008] 14 एस. सी. आर. 961; जहूर अहमद राथर और अन्य। वी. शेख इम्तियाज अहमद और अन्य। (2019) 2 एससीसी 404: [2018] 14

एस. सी. आर. 1082 निर्दिष्ट है। —

मामला कानून संदर्भ

[1975] 1 एससीआर 449

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

(1990) 1 एससीसी 288

संदर्भित किया गया है

पै

रा 22

(2002) 6 एस. सी. सी. 252

संदर्भित किया गया है

पै

रा 23

[2008] 14 एससीआर 961

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2018] 14 एससीआर 1082

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.7031

2021 .

उच्च न्यायालय के 22.02.2007 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2006 के सी. डब्ल्यू. पी. सं. 20630 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

आर. बसंत, सीनियर एड. , वरिंदर कुमार शर्मा, अनिल कुमार, विजय

शर्मा, श्री पाल सिंह, आदित्य रंजन, शंकर राजू, डॉ. सुरेंद्र सिंह हुड्डा, रणबीर सिंह यादव, अक्षय सहाय, प्रतीक यादव, श्रीमती प्रतिमा यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. मोनिका गुसैन, हरिकेश सिंह, आर. डी. जटैन, सत्येंद्र कुमार,

सुश्री एस. जनानी, जगजीत सिंह छाबड़ा, सुबोध कुमार।

पाठक, विनोद K.Soni, देवेंद्र भास्कर और ओआरएस। वी. हरियाणा राज्य और

ओआरएस।

पवन Kr.Sharma, डॉ. अमरदीप गौर, एम/एस। वी. माहेश्वरी एंड कंपनी, प्रदीप दहिया, सुश्री महिमा बेनीपुरी, देवाशीष भरुका, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुमन लता और अन्य में 2006 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 20630 में पारित दिनांक 22.02.2007 के आदेश को चुनौती दी। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

3. इसमें अपीलार्थियों को पहले उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया था

उक्त रिट याचिका के परिणाम के रूप में उच्च न्यायालय के उनके सेवा जीवन को प्रभावित करने की संभावना थी। उत्तरदाता सं। 1 इसमें 3 के लिए, अर्थात्, हरियाणा राज्य, निदेशक, स्कूल शिक्षा, हरियाणा और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को प्रतिवादी संख्या के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 रिट याचिका में 3 तक। इस अपील में अधिकांश निजी प्रतिवादी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ता थे और इसमें कुछ प्रतिवादी हस्तक्षेप करने वाले हैं। सुविधा के लिए, पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी संबंधित श्रेणी में संदर्भित किया जाता है।

4. विवाद की उत्पत्ति विज्ञापन संख्या 6/से हुई है।

2006 , दिनांक 20.07.2006 (अनुलग्नक-P8) जो हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग (संक्षेप में, 'आयोग') द्वारा जारी किया गया था, राज्य में कला और शिल्प शिक्षकों के 816 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

हरियाणा से। अन्य के बीच इसके लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार थेः

((ii) कला और शिल्प में दो वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा आयोजित की गई हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग या

हरियाणा द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता शिक्षा विभाग।

(iii) मैट्रिक मानक तक हिंदी का ज्ञान।

(जोर दिया गया)

5. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्होंने अपनी मैट्रिक पास की

कला और शिल्प/ड्राइंग के विषय के साथ या उन्होंने [2021] 7 एस. सी. आर. उत्तीर्ण किया है।

अतिरिक्त विषय के रूप में उनके मैट्रिक में कला और शिल्प/ड्राइंग का विषय। सभी याचिकाकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला और शिल्प में अपना दो साल का डिप्लोमा पास किया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी योग्यता के आधार पर आयोग में उपरोक्त पद के लिए आवेदन किया। आयोग ने इस कारण से उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया कि उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला और शिल्प में अपना दो साल का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया था, जिसे हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा समकक्ष योग्यता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं।

6. 12.12.2006 पर, स्कूल शिक्षा निदेशक हरियाणा, चंडीगढ़ ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र संबोधित किया /

जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को बताया गया कि निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा आयोजित कला और शिल्प में डिप्लोमा, हरियाणा राज्य में एकमात्र मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला और शिल्प में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र हरियाणा राज्य में कला और शिल्प शिक्षक के लिए नियुक्ति के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में इस पत्र की वैधता को भी चुनौती दी है।

दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है। इसलिए, इसकी तुलना नियमित कक्षा कक्ष अध्ययन के माध्यम से दिए जाने वाले डिप्लोमा के साथ नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, उक्त डिप्लोमा केवल स्वयं के उद्देश्य के लिए है रोजगार और उसी को शिक्षा विभाग के साथ-साथ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है

औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा। 8. रिट याचिकाओं में निजी उत्तरदाताओं ने भी इसी तरह की दलीलें दी हैं और रिट याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। द.

उच्च न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के अवलोकन पर रिट याचिकाओं को अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमा के बल पर कला और शिल्प शिक्षकों के पद के लिए विचार करने का कानूनी अधिकार है।

देवेंद्र भास्कर और ओआरएस। वी. हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

9. यहाँ अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील (निजी उत्तरदाता)

रिट याचिकाओं में) प्रस्तुत किया गया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा द्वारा दिए गए कला और शिल्प में डिप्लोमा के बराबर नहीं है।

विभाग, हरियाणा। इसे हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा कला और शिल्प में डिप्लोमा उन छात्रों को दिया जाता है जो नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाते हैं। अधिकांश विषय व्यावहारिक विषय हैं और उनकी पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संभव नहीं है। उक्त विश्वविद्यालय द्वारा कला और शिल्प में दिया जाने वाला डिप्लोमा केवल शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए है। इस संबंध में, विद्वान वकील ने दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न अनुलग्नक आर-1 से आर-3 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह तर्क दिया जाता है कि सवाल यह नहीं है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कला और शिल्प में डिप्लोमा अमान्य है या अवैध है। बल्कि सवाल यह है कि क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया उक्त डिप्लोमा कला और शिल्प परीक्षा में डिप्लोमा के 'समकक्ष योग्यता' है।

हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित। यह भी तर्क दिया गया कि 'समानता' एक तकनीकी मामला है और यह न्यायालय अधिकारियों को इसे समकक्ष के रूप में मान्यता देने का निर्देश नहीं दे सकता है जब विशेषज्ञ का विचार अन्यथा हो।

रिट याचिका में अपीलार्थी/निजी उत्तरदाता। 11. दूसरी ओर, रिट याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील यहाँ उत्तरदाताओं का कहना है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय था

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत निगमित और इस विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सभी योग्यताओं को केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य से स्वचालित रूप से मान्यता प्राप्त है। हरियाणा सरकार ने बार-बार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित कला और शिल्प पाठ्यक्रम में दो वर्षीय डिप्लोमा की पुष्टि की है। इस संबंध में, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए संचार और दिनांक 02.11.1999,27.05.2005 और 30.05.2005 पर भरोसा किया है। वह अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है। 12. हमने बार में पक्षकारों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि कला और शिल्प पाठ्यक्रम एक अत्यधिक व्यावहारिक उन्मुख पाठ्यक्रम है और नियुक्त शिक्षक हैं। छात्रों को कला और शिल्प में प्रशिक्षित करना होगा जो एक व्यावहारिक विषय है।

कला और शिल्प में डिप्लोमा औद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा दिया जाता है और

शिक्षा और वही छात्रों के सर्वोत्तम हित में नहीं था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में एक चेतावनी नोटिस जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ संस्थान जिन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कला और शिल्प पाठ्यक्रम के लिए एक शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में भ्रामक विज्ञापन दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला और शिल्प में डिप्लोमा नहीं है।

किसी भी विशिष्ट कार्य की गारंटी। आयोजित बैठक के कार्यवृत्त

27.11.2003 वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में यह स्थिति बहुत स्पष्ट है जो इस प्रकार हैः

" वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव वेंडर भास्कर और ओआरएस की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त।

वी. हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [एस. अब्दुल नजीर, जे.]सरकार को। कुरुक्षेत्र द्वारा शुरू किए गए कला और शिल्प पाठ्यक्रम के संबंध में हरियाणा, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग

विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र सत्र 2003-2004 से।

उपस्थित हैं।

1. एस. धनपत सिंह, आईएएस

उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा।

2. एस. राजबीर सिंह, आई. ए. एस

निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक

शिक्षा, हरियाणा।

3. एस. एल. सी. गुप्ता

निदेशक, पत्राचार पाठ्यक्रम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण ने बताया कि कुरुक्षेत्र

1 .

विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ने इस वर्ष 2003-2004 से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 2 वर्षीय कला और शिल्प पाठ्यक्रम शुरू किया है। विश्वविद्यालय ने शिक्षा विभाग या औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से अनुमति नहीं ली।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग।

2 .

श्री एल. सी. गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय शुरू कर सकता है पत्राचार पाठ्यक्रम अपने स्तर पर और सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हरियाणा/शिक्षा विभाग। उन्होंने आगे बताया कि जनता को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम नौकरी की गारंटी नहीं देगा।

दो साल का कला और शिल्प शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पहले से ही है

3 .

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालित और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा। एक पाठ्यक्रम शुरू करके

इसी तरह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ने औद्योगिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कदम रखा है।

व्यावसायिक शिक्षा विभाग। इसने आम जनता के मन में भ्रम पैदा कर दिया है क्योंकि उपरोक्त दोनों पाठ्यक्रम समान हैं और यह उन युवाओं में अशांति पैदा कर सकता है जिन्होंने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है क्योंकि यह मान्यता प्राप्त नहीं है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कला और शिल्प शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है

4 .

आई. टी. और वी. ई. विभाग द्वारा एक मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा शुरू किया गया कला और शिल्प का पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आयोजित किया जाता है और इसलिए ये दोनों पाठ्यक्रम नहीं कर सकते हैं।

बराबरी की जाए।

यह निर्णय लिया गया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र से हरियाणा के शिक्षा विभाग के माध्यम से अनुरोध किया जा सकता है।

इस पाठ्यक्रम को अगले शैक्षणिक सत्र 2004 से बंद करने के लिए

2005. "

15. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा चेतावनी की सूचना इस प्रकार हैः

सुधार पाठ्यक्रमों का निर्देश

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र

सावधानी की सूचना

कुछ संस्थानों/संगठनों ने विभिन्न समाचार पत्रों/मीडिया में विज्ञापन दिए हैं और संबद्धता/फ्रेंचाइजी प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर/प्रबंधन/अन्य केंद्रों को आमंत्रित किया है। पत्राचार पाठ्यक्रम निदेशालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये सभी विज्ञापन अवैध हैं और सेवा प्रदाताओं के लिए समझौते के नियमों और शर्तों के खंड-4 का उल्लंघन करते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "किसी भी मामले में दूसरे पक्ष (सेवा प्रदाता) को अपने द्वारा संचालित अध्ययन केंद्रों के अलावा किसी अन्य एजेंसी/केंद्र को इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में छात्रों का नामांकन करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी उल्लंघन से इसे रद्द कर दिया जाएगा।

इस तरह की कोई भी अवैध व्यवस्था अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर की जाएगी। कुछ संस्थानों/दलों ने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में कला और शिल्प में डिप्लोमा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए भ्रामक विज्ञापन भी दिए हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कला और शिल्प में डिप्लोमा सहित सभी डीसीसी पाठ्यक्रम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी है और किसी विशिष्ट नौकरी की गारंटी नहीं देता है। इसलिए, विश्वविद्यालय किसी भी तरह से वेंडर भास्कर और ओआरएस नहीं होगा।

वी. हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

इस तरह के किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार। के मामले में

यदि कोई संदेह हो और आगे के स्पष्टीकरण के लिए, कृपया फोन 01744-238518 पर संपर्क करें।

निदेशक "

16. सरकार के निदेशक और अवर सचिव

एना ने उच्च शिक्षा को अपने दिनांकित 24.11.2003 पत्र में लिखा है।मिशनरी, ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कला में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है

शिक्षा विभाग। यह पत्र इस प्रकार हैः

" से

निदेशक,

औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग,

हरियाणा

को।

1. एस. धनपत सिंह,

   उच्च शिक्षा आयुक्त, हरियाणा

   उच्च शिक्षा विभाग।

2. निदेशक पत्राचार पाठ्यक्रम

   कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।

ज्ञापन संख्या-3/कला और शिल्प/शिकायत/26586

तिथि 24.11.2003

विषयः कला और शिल्प व्यावसायिक डिप्लोमा के बारे में

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्राचार के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ने दो साल का कला और शिल्प व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है।

पत्राचार पाठ्यक्रम। इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग और औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. वित्त आयुक्त और सरकार के सचिव

हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग

कमरा No.335 में सुबह 11 बजे 27.11.2003 पर एक बैठक बुलाई है, तीसरी मंजिल, नया सचिवालय क्षेत्र-17, चंडीगढ़ विचार करेगा

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस बैठक में भाग लें।

ए

सडी /

निदेशक और सरकार के अवर सचिव। हरियाणा का

औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग,

हरियाणा "

17. निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि दोनों पाठ्यक्रम नहीं हैं

समकक्ष पाठ्यक्रम।

कला और शिल्प

डिप्लोमा

SI.No। कला और शिल्प

कुरुक्षेत्र

से

से

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय,

कुरुक्षेत्र

विभाग

औद्योगिक

व्यावसायिक

और

प्रशिक्षण

शिक्षा, हरियाणा

पत्राचार

2 सिद्धांत वाला नियमित पाठ्यक्रम

1 .

पाठ्यक्रम

पेपर और 8 व्यावहारिक।

2 सिद्धांत पत्र

और

6 व्यावहारिक।

योग्यता के आधार पर प्रवेश

कोई पात्रता

मानदंड नहीं है

2 .

10 + 2 क्या

किसी में पात्रता है

अर्थात मैट्रिक का प्रतिशत

कोई योग्यता नहीं

एक विषय के रूप में चित्रकारी।

धारा।

दृढ़ संकल्प और

कोई उम्र नहीं

बार।

आरक्षण नीति लागू है।

कोई आरक्षण

नीति नहीं है।

3 .

4 .

सीमित सीटें अर्थात 30 छात्र

कोई सीमित सीटें

नहीं हैं।

इसमें एक इकाई होती है।

कोई आंतरिक

मूल्यांकन नहीं।

160 का आंतरिक मूल्यांकन

5 .

निशानियाँ।

प्रयोगशाला में नियमित व्यावहारिक कक्षाएं

6 .

कोई नियमित

व्यावहारिक कक्षाएं नहीं

द.

वैसा ही है

जैसे किः -

के रूप में

क) लकड़ी का काम;

पत्राचार

पाठ्यक्रम।

ख) क्ले मॉडलिंग;

ग) चित्रकारी;

(घ) अनुप्रयुक्त कला;

ई) स्केल ज्यामिति;

च) डिजाइन और पोस्टर, और

छ) अभी भी जीवन।

18. यह कहना भी प्रासंगिक है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय

स्वयं स्पष्ट किया है कि पत्राचार के माध्यम से उसके द्वारा शुरू किया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा कला और शिल्प शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए नहीं है। वास्तव में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कभी भी यह दावा नहीं किया है कि देवेंदर भास्कर और ओआरएस।

वी. हरियाणा राज्य और ओ. आर. एस. [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

उपरोक्त डिप्लोमा कला और शिल्प शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने एक सार्वजनिक सूचना में

दिनांक 1 ने स्पष्ट किया है कि यह डिग्री छात्रों को स्व-नियोजित बनने में सक्षम बनाने के लिए है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज से यह संकेत नहीं मिलता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कला और शिल्प में डिप्लोमा हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा आयोजित कला और शिल्प परीक्षा में दो साल के डिप्लोमा के बराबर है। विभाग। प्रदर्शनी पी-4 में अपने दिनांक 24.12.2004 के पत्र में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्वविद्यालय कला और शिल्प में डिप्लोमा सहित किसी भी पाठ्यक्रम के लिए किसी भी विशिष्ट नौकरी की गारंटी नहीं देता है।

19. दस्तावेज़, प्रदर्शनी पी-2 से पी-4, यह दावा नहीं करते हैं कि विचाराधीन पाठ्यक्रम को दो साल के डिप्लोमा के बराबर मान्यता दी गई है।

हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प परीक्षा या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।

20. हम पहले ही देख चुके हैं कि कला और शिल्प शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में से एक

आई. डी. 1 का विज्ञापन "हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प में दो वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता" है। औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कला और शिल्प पाठ्यक्रम में डिप्लोमा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आयोजित किया जाता है और इस पाठ्यक्रम को हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले कला और शिल्प पाठ्यक्रम में दो साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं माना जा सकता है।

हरियाणा राज्य द्वारा उक्त पाठ्यक्रम की मान्यता, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, इसकी समानता से पूरी तरह से अलग है। जब विशेषज्ञों ने

शिक्षा विभाग में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कला और शिल्प में डिप्लोमा हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रदान किए गए कला और शिल्प में दो साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय उन्हें बराबर करने में उचित नहीं था।

21. मोहम्मद शुजात अली और ओरस में। वी. भारत संघ और

अन्यथा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि शैक्षिक योग्यताओं की समानता के संबंध में प्रश्न एक तकनीकी प्रश्न है जो उचित मूल्यांकन और प्रासंगिक शैक्षणिक मानकों और व्यावहारिक उपलब्धियों के मूल्यांकन पर आधारित है।

1 (1975) 3 एस. सी. सी 76 [2021] 7 एस. सी. आर.

ऐसी योग्यताएँ। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि जहां सरकार का निर्णय किसी विशेषज्ञ निकाय की सिफारिश पर आधारित है, वहां न्यायालय, प्रासंगिक आंकड़ों से अनजान और समानता निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी अंतर्दृष्टि से सहायता प्राप्त नहीं है, सरकार के निर्णय को हल्के में तब तक बाधित नहीं करेगा जब तक कि यह बाहरी या अप्रासंगिक विचारों या प्रेरित दुर्भावना पर आधारित न हो या तर्कहीन और विकृत या स्पष्ट रूप से गलत न हो। 22. जे. रंगा स्वामी बनाम। आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विभिन्न पदों के लिए निर्धारित योग्यता की प्रासंगिकता पर विचार करना न्यायालय का काम नहीं है।

23. राजस्थान और अन्य राज्यों में। वी. लता अरुण, 3 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता योग्यता या सेवा में भर्ती या पदोन्नति के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले मामले हैं। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 13. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के अनुपात से, यह स्पष्ट है कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए या सेवा में भर्ती या पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता योग्यता उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने वाले मामले हैं। यह तय करना अदालतों का काम नहीं है कि किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित योग्यता के समकक्ष स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं।

प्राधिकरण द्वारा "।

24. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम। संजय कुमार कटवाल

& एन. आर. , * इस न्यायालय ने दोहराया है कि समानता एक तकनीकी शैक्षणिक मामला है। इसे निहित या अनुमानित नहीं किया जा सकता है। समतुल्यता से संबंधित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक निकाय का कोई भी निर्णय एक विशिष्ट आदेश या संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे विधिवत प्रकाशित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि क्या कोई दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम अपीलार्थी विश्वविद्यालय की एम. ए. (अंग्रेजी) की डिग्री के बराबर है, न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई थी।

25. जहूर अहमद राथर और ओआरएस में। वी. शेख इम्तियाज अहमद & Ors.5, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य, एक नियोक्ता के रूप में, पात्रता की शर्त के रूप में योग्यता निर्धारित करने का हकदार है।

2 (1990) 1 एस. सी. सी. 288 3 3 (2002) 6 एस. सी. सी. 252 4 (2009) 1 एस. सी. सी. 610 5 (2019) 2 एस. सी. सी. 404 देवेंदर भास्कर और ओ. आर. एस.

नौकरी की प्रकृति, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक योग्यता, विभिन्न योग्यताओं की कार्यक्षमता, विभिन्न योग्यताओं के अधिग्रहण के लिए पाठ्यक्रम सामग्री, आदि। न्यायिक समीक्षा न तो निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार कर सकती है और न ही यह तय कर सकती है कि किसी भी अन्य दी गई योग्यता के साथ निर्धारित योग्यताओं की समानता। योग्यता की समानता राज्य के लिए, भर्ती प्राधिकरण के रूप में, निर्धारित करने का विषय है।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि कला और शिल्प में डिप्लोमा/डिग्री

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कला और शिल्प में दो वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा या निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, हरियाणा द्वारा आयोजित कला और शिल्प में डिप्लोमा के बराबर है।

27. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। नतीजतन, सी. डब्ल्यू. पी. में उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश।

2006 का No.20630 और संबंधित मामले, जो यहाँ विवादित हैं, को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन